150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–2/स्थानांतरण/इतिहास/ 2019–20/ दिनांक–29.09.2019 के तहत् तहत शिवराज डाकोत व्याख्याता वाणिज्य का स्थानांतरण राउमावि, नॉगल जैसा बोहरा, जयपुर से राउमावि, नवीन अलवर किया गया। शिवराज डाकोत ने अपने स्थानांतरण के विरूद्व माननीय राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3854/2019 शिवराज डाकोत बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय अधिकरण के निर्णय/आदेश दिनांक 04.12.2019 द्वारा अपीलार्थी को एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं प्रत्यर्थी विभाग को विभागीय दिशा निर्देशों नियमों के अन्तर्गत निस्तारित कर अपीलार्थी को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के कम में अपीलार्थी शिवराज डाकोत ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के 26 वर्ष की सेवा ग्रामीण क्षेत्र में होने की एवं वृद्ध माताजी के अस्वस्थ होने के आधार निम्नलिखित रिक्त पदः– 1. राउमावि, चोंप,जयपुर 2. राउमावि, सेठ बंशीधर अग्रवाल राउमावि चतरपुर, जयपुर 3.राउमावि, इटावा भोपजी, जयपुर के रिक्त पद पद पदस्थापन की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किए गए स्थानान्तरण आदेश मे राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 एवं सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन द्वारा यथावत/वांछित स्थान की मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाकर निस्तारित किया जाता है। शिवराज डाकोत को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–2/अभ्यावेदन/शिवराज डाकोत/को.के/19–20 दिनांकः– 20/12/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री शिवराज डाकोत के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जॉच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर